



# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक 146 / 12/2015 / चयन

इन्दौर दिनांक 03/01/2017

// विज्ञाप्ति //

## चिकित्सा अधिकारी पद हेतु साक्षात्कार संबंधी जानकारी

01. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2015/दिनांक 08.06.2015 के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.07.2015 निर्धारित थी। आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.07.2015 निर्धारित थी।

02. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक 1564 आवेदकों के अगिलेख आयोग कार्यालय को प्राप्त हुए थे, जिसमें से संवीक्षा उपरांत 1519 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह/अर्ह (प्रावधिक) पाए गए हैं, साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों के साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 16 जनवरी 2017 से प्रारंभ होकर 03 मार्च 2017 तक आयोजित किए जा रहे हैं। आवेदकों को साक्षात्कार पत्र उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाए गए ई-मेल एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं। आवेदकों की सुविधा हेतु साक्षात्कार पत्र की आयोग की बेबसाइट पर भी दिनांक 06.01.2017 से उपलब्ध रहेंगे। विस्तृत जानकारी आयोग की बेबसाइट पर उपलब्ध है।

साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रगाण पत्र एवं उनकी प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

संख्या	अभिलेखों के नाम
01.	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अंकसूची
02.	एम.बी.बी.एस. प्रत्येक वर्ष की अंकसूचिया एवं उपाधि।
02.	इंटर्नशिप पूर्णता प्रगाण पत्र।
03.	मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीयन। (स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14.07.2015 तक या इसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है।)
04.	एम.बी.बी.एस. के स्थान पर रागकथा विदेशी अर्हता धारित होने पर कुल पूर्णांक/प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत का गणना पत्रक एवं शपथ-पत्र की मूल प्रति।
04.	मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने पर, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
05.	मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी के होने पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रगाण पत्र की प्रति। विवाहित गहिलाओं के गामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जारी जाति प्रगाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में परिवार की आय का नवीनतम वैधता अवधि का प्रमाण पत्र।
06.	पहचान प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, लाईसेंस, शारकीय सेवक होने पर नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

- |     |  |
|-----|--|
| 07. | शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अथवा आवेदक द्वारा विभाग को एन.ओ.सी. प्रदाय करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन की छायाप्रति ।              |
| 08. | निःशक्तजन श्रेणी होने की स्थिति में निःशक्तता का प्रमाण पत्र   |
| 09. | अनुप्रमाणन फार्म 03 मूल प्रति, व्यक्तिगत विवरण पत्रक 01 मूल प्रति एवं 05 उसकी छायाप्रति, 01 उपस्थिति पत्रक, उक्त समस्त फार्म आयोग की बेबसाइट से अपलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं । |

5/ साक्षात्कार में आमत्रित आवेदकों को वाञ्छित मूल अभिलेख एवं उनकी प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार प्रक्रिया में रामिलित नहीं किया जावेगा । जिन आवेदकों के गूल अभिलेख एवं अंकसूची किसी कारणवश अध्ययनरत संस्था में जमा होने पर आवेदकों को संस्था के डीन का तदाकाशय का पत्र एवं संस्था के डीन से उक्त अभिलेख एवं अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी । साक्षात्कार हेतु प्रातः 10.00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है ।

  
उप परीक्षा नियंत्रक